

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

<p>फर्द अहकाम</p>	
<p>मु० नं० 85/14 तारीख रजू 27.10.14</p>	
<p>उत्पान - श्री प्रसाद बनाम सियाराम दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा</p>	
<p>वादी की ओर से श्री डिवाकर सिंह Adv० ने दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53 व 188 के अन्तर्गत पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दवा दर्ज रजि स्टर प्रतिवादी जणों को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 18.11.14 को पेश हो।</p>	
<p>वादी वकील उप० प्रतिवादी नं० 12/11 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv० ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं० 12/11.21, 24, 29, 30, 31, 33, 34 के अलावा सूचना उप० नहीं है। प्रतिवादी नं० 22, 23, 25, 26 27, 28, के शहट रसे की रिपोर्ट तामील कुमिन्दा ने की है तथा प्रतिवादी नं० 32 के फौत होने की रिपोर्ट की है। P-0 का अरौली मीटिंग अपेक्षित है। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 22.12.14 को पेश हो।</p>	<p>2558-9/ 28-10-14</p> <p>उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम	दिनांक
28	<p>9/15 वकूलाय उपरिथत/पोठासन अधिकारी <u>मी. शिवाजी कटोली</u> पथोर है। गतानुसार दिनांक <u>3-11-15</u> को पेश हो।</p>	
3-11-15	<p>वकूलाय उपर। वादी वकील <u>सुभाष तलवाना</u> पेश करे। वकील प्रतिवादी <u>अक्षय</u> पेश करे। दिनांक <u>16-12-15</u> को पेश हो।</p>	
16-12-15	<p><u>वकूलाय</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उपर। वादी वकील उपस्थित नहीं है। कई बार आवाज दिलाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः आदम हाजिरी एवं आदम पैरवी में दावा स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	